

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबड़ा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

आप. प्रक. क.-374 / 2017

संस्थित दिनांक 10.08.2017

फाईलिंग नंबर-12772017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, बैहर

जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - अभियोजन

// **विरुद्ध** //

1.रविन्द्र कुमार पिता गोरेलाल, उम्र 32 वर्ष

2.गोरेलाल पिता इमरतलाल, उम्र 55 वर्ष,

दोनों निवासी ग्राम झुलुप थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - आरोपीगण

// **निर्णय** //**(दिनांक 12/02/2018 को घोषित)**

01- आरोपी रविन्द्र कुमार के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354, 457 के तहत यह आरोप है कि उसने घटना दिनांक 20.05.2017 को समय रात्रि करीब 00:30 बजे किराये के मकान ग्राम झुलुप परसवाड़ा में प्रार्थिया श्रीमती रामेश्वरी बोपचे जो कि एक महिला है, को लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से सीना दबाकर आपराधिक बल का प्रयोग किया एवं प्रार्थियों का यौन उत्पीड़न करने के आशय से प्रार्थियों के घर में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता था, अवैध रूप से प्रवेश कर रात्रोप्रच्छन्न गृह अतिचार/गृह भेदन कारित किया तथा आरोपी गोरेलाल के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-506 भाग-दो के तहत आरोप है कि उसने दिनांक 23.05.2017 को थाना बैहर अंतर्गत ग्राम झुलुप में प्रार्थिया श्रीमती रामेश्वरी बोपचे को सत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक

20.05.17 को प्रार्थिया रामेश्वरी बोपचे ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह 15 दिन पहले रविन्द्र टेंभरे के यहाँ परिवार सहित आकर एक कमरे में किराये से रहने लगे। दिनांक 20.05.17 को शाम को परिवार सहित खाना खाकर गर्मी के कारण अपने कमरे का दरवाजा लुढ़काकर वह खाट में अकेली तथा उसके पति जमीन में बिस्तर लगाकर बच्चों के साथ सो गये थे, करीब 12 बजे रात्रि में उसके कमरे का दरवाजा ढकेल कर कोई व्यक्ति घूसा और उसका सीना दबाने लगा, तब वह जोर से चिल्लाई तब उसके पति राजेश बोपचे जाग गये और देखे कि उसके मकान मालिक का लड़का रविन्द्र टेंभरे था और उसके पति से झुमा-झपटी कर भाग गया। दूसरे दिन उसके पति ने गांव के टेंभरे पटेल के यहाँ मिटींग लगाये। मीटिंग में दशरथ टेंभरे, अनिल राहंगडाले तथा अन्य लोग आये जिन्हें घटना के बारे में बताये। मीटिंग में बुलाने पर रविन्द्र टेंभरे नहीं आया, जिससे मीटिंग में फैसला नहीं हो पाया।

03— अभियोजन पक्ष के अनुसार दिनांक 22.05.17 को वह तथा उसके पति ने मीटिंग रखवाये थे फिर भी मीटिंग में रविन्द्र टेंभरे नहीं आया। रविन्द्र का पिता गोरेलाल आया और मीटिंग में उसे तथा पंचों को डरा-धमकाकर भगा दिया, गोरेलाल टेंभरे ने एक कागज में उसके पति के खिलाफ आवेदन पत्र खुद लिखकर लाया और उसे डरा धमकाकर उसके दस्तखत ले लिया। उसके मना करने पर उसे मारने की धमकी दिये और उस आवेदन की कापी गोरेलाल टेंभरे ने अपने पास रख लिया और कहा कि उसे राजेश छोड़ देगा तो वह रविन्द्र के लिये बहू बनाकर रख लेंगे, उसने घटना की पूरी बात उसकी मम्मी कौशनबाई पटले को बताई है, रिपोर्ट करती है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर धारा-354, 506, 34 ताहि एवं 354(क) उपधारा (1) द.वि. संशोधन अधिनियम 2013 का कायम कर विवेचना में लिया गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता, गवाहों के कथन लेख किये गये, नक्शा-मौका तैयार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत चालान क्रमांक 67/17 दिनांक 15.07.17 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

04— आरोपी रविन्द्र कुमार को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354, 457 एवं आरोपी गोरेलाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-506 भाग-दो के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी रामेश्वरी बोपचे ने आरोपीगण से राजीनामा कर लिया। प्रकरण में आरोपी रविन्द्र कुमार के विरुद्ध धारा-354, 457 भा.द.वि. एवं आरोपी गोरेलाल के विरुद्ध धारा-506 भाग-दो भा.द.सं. के तहत अभियोग है, दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2008 दिनांक 30.12.2008 अनुसार आरोपी गोरेलाल द्वारा कारित अपराध धारा-506 भाग दो भा.द.वि. फरियादी/आहत रामेश्वरी बोपचे द्वारा न्यायालय की बिना अनुज्ञा से शमनीय एवं राजीनामा योग्य होने से आरोपी गोरेलाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-506 भाग-दो के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा आरोपी रविन्द्र के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354, 457 भा.द.वि. का अपराध शमनीय न होने से विचारण किया गया।

05— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1— क्या आरोपी रविन्द्र कुमार ने घटना दिनांक 20.05.2017 को समय रात्रि करीब 00:30 बजे किराये के मकान ग्राम झुलुप परसवाड़ा में प्रार्थिया श्रीमती रामेश्वरी बोपचे जो कि एक महिला है, को लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से सीना दबाकर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

2— क्या आरोपी रविन्द्र कुमार ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर प्रार्थियों का यौन उत्पीड़न करने के आशय से प्रार्थियों के घर में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता था, अवैध रूप से प्रवेश कर रात्रोप्रच्छन्न गृह अतिचार/गृह भेदन कारित किया ?

सकारण व निष्कर्ष :-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02:-

साक्ष्य की पुनरावृत्ति एवं सुविधा की दृष्टि से दोनों विचारणीय बिंदुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

06— फरियादी रामेश्वरी अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से पिछले वर्ष शाम के समय

ग्राम झुलुप की है। घटना के समय वह लोग आरोपीगण के यहाँ किराये से रहते थे। घटना के समय आरोपी रविन्द्र से उसका मौखिक विवाद हुआ था। फिर लोगों के कहने पर उसने घटना के दो दिन बाद आरोपीगण के विरुद्ध थाना बैहर में शिकायत की थी, जिस पर पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी-01 लेख की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस को उसने झगड़े वाली जगह बताई थी और पुलिस ने उसके बताये अनुसार मौका-नक्शा प्रपी-02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

07— फरियादी रामेश्वरी अ.सा.01 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 20.05.2017 को परिवार सहित खाना खाकर शाम के समय गर्मी के कारण वह अपने कमरे का दरवाजा लुढ़काकर खाट में अकेली तथा उसके पति जमीन में बिस्तर लगाकर बच्चों के साथ सोये थे, तभी रात्रि करीब 12:00 बजे उसके कमरे का दरवाजा धकेल कर कोई व्यक्ति घूसा और उसका सीना दबाने लगा, जिस पर वह जोर से चिल्लाई और उसके पति राजेश बोपचे जाग गये तो देखा कि उसके मकान मालिक का लड़का रविन्द्र टेंभरे था जो उसके पति से झूमा-झपटी कर भाग गया, दूसरे दिन उसके पति ने गांव के टेंभरे पटेल के यहाँ मीटिंग लगाये थे, जिसमें दशरथ टेंभरे, अनिल राहंगडाले तथा अन्य लोग थे, जिन्हें उसने तथा उसके पति ने घटना के बारे में बताया, परंतु रविन्द्र टेंभरे मीटिंग में नहीं आया।

08— फरियादी रामेश्वरी अ.सा.01 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को भी अस्वीकार किया है कि दिनांक 22.05.2017 को पुनः उन्होंने मीटिंग रखी, परंतु रविन्द्र टेंभरे नहीं आया बल्कि उसका पिता गोरेलाल आया, जिसने उसे तथा पंचों को डरा-धमकाकर भगा दिया और एक कागज में उसके पति के खिलाफ आवेदन पत्र लिखकर लाया, जिस पर डरा-धमकाकर उसके दस्तखत करा लिये, उसके मना करने पर उसे मारने की धमकी दी और आवेदन की कापी गोरेलाल ने अपने पास रख ली और कह

रहा था कि राजेश के छोड़ने पर उसे रविन्द्र के लिए बहू बनाकर रख लेंगे, फिर उसने घटना की पूरी बात अपनी माँ कोशनबाई कटरे को बताई और गांव की पंचायत में फैसला नहीं हुआ था। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.03 पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसका आरोपी से समझौता हो गया है, इसलिये वह न्यायालय में असत्य कथन कर रही है।

09— फरियादी रामेश्वरी अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय उसका केवल मौखिक विवाद हुआ था, आरोपी रविन्द्र उसके कमरे में नहीं आया था और उनका विवाद घर के बाहर हुआ था, आरोपीगण द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित नहीं की गई थी, उसका आरोपीगण के साथ समझौता हो गया है और वह उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है।

10— साक्षी राजेश अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना पिछले वर्ष शाम के समय ग्राम झुलुप की है। घटना के समय वह लोग आरोपीगण के यहाँ किराये से रहते थे। घटना के समय आरोपी रविन्द्र से उसकी पत्नि का मौखिक विवाद हुआ था। फिर लोगों के कहने पर उसने घटना के दो दिन बाद आरोपीगण के विरुद्ध थाना बैहर में शिकायत की थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

11— साक्षी राजेश अ.सा.02 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 20.05.2017 को परिवार सहित खाना खाकर शाम के समय गर्मी के कारण अपने कमरे का दरवाजा लुढ़काकर खाट में उसकी पत्नि अकेली तथा वह जमीन में बिस्तर लगाकर बच्चों के साथ सोया था, तभी उसकी पत्नि जोर से चिल्लाई तब उसने देखा कि उसके मकान मालिक का लड़का आरोपी रविन्द्र टेंभरे था जिसे उसने पकड़ना चाहा परंतु वह झूमा-झपटी कर भाग गया फिर उसकी पत्नि ने बताया कि आरोपी रविन्द्र उसका सीना दबा रहा था, दूसरे दिन उन्होंने गांव के टेंभरे

पटेल के यहाँ मीटिंग लगाये थे, जिसमें दशरथ टेंभरे, अनिल राहंगडाले तथा अन्य लोग थे, जिन्हें उसने तथा उसकी पत्नि ने घटना के बारे में बताया परंतु रविन्द्र टेंभरे मीटिंग में नहीं आया, फिर दिनांक 22.05.2017 को पुनः उन्होंने मीटिंग रखी परंतु रविन्द्र टेंभरे नहीं आया बल्कि उसका पिता गोरेलाल आया तथा जिसने उसे तथा पंचों को डरा-धमकाकर भगा दिया और एक कागज में उसके खिलाफ आवेदन पत्र लिखकर लाया जिस पर डरा-धमकाकर उसकी पत्नि के दस्तखत ले लिये, उसके मना करने पर उसे मारने की धमकी दी। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.04 पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसका आरोपीगण से समझौता हो गया है, इसलिये वह न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।

12— साक्षी राजेश अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय उसकी पत्नि का केवल मौखिक विवाद हुआ था, आरोपी रविन्द्र उनके कमरे में नहीं आया था और उनका विवाद घर के बाहर हुआ था, आरोपीगण द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित नहीं की गई थी, उनका आरोपीगण के साथ समझौता हो गया है और वह उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं।

13— परिवादी रामेश्वरी अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना के समय उसका केवल मौखिक विवाद हुआ था, आरोपी रविन्द्र उसके कमरे में नहीं आया था और उसका विवाद घर के बाहर हुआ था, आरोपीगण द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित नहीं की गई थी, उसका आरोपीगण के साथ समझौता हो गया है और वह उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। उक्त साक्षी के कथनों का समर्थन साक्षी राजेश अ.सा.02 ने भी किया है। परिवादी रामेश्वरी अ.सा.01 घटना की एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने घटना से स्पष्ट इंकार किया है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में अभियुक्त के विरुद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता।

14— परिणामस्वरूप अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी रविन्द्र कुमार ने घटना दिनांक 20.05.2017 को समय रात्रि करीब 00:30 बजे किराये के मकान ग्राम झुलुप परसवाड़ा में प्रार्थिया श्रीमती रामेश्वरी बोपचे जो कि एक महिला है, को लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से सीना दबाकर आपराधिक बल का प्रयोग किया एवं प्रार्थियों का यौन उत्पीड़न करने के आशय से प्रार्थियों के घर में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता था, अवैध रूप से प्रवेश कर रात्रोप्रच्छन्न गृह अतिचार/गृह भेदन कारित किया। अतः आरोपी रविन्द्र कुमार को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354, 457 के अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

15— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

16— प्रकरण में आरोपी रविन्द्र कुमार दिनांक 25.05.17 से दिनांक 30.05.2017 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

17. प्रकरण में कोई जप्तशुदा संपत्ति नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया।

सही / —
(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट

सही / —
(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट